केर वाले बाबा का वार्षिक उर्स आज

मनोहरपुर (निसं)। निकटवर्ती कस्बा अचरोल में स्थित हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिक हजरत केर वाले बाबा रहमतुल्लाह आलेह का वार्षिक उर्स मेला 15 जून रविवार की सुबह 7 बजे झंडे की रस्म के साथ मे शुरू होगा जो कि 16 जून की सुबह कूल की रस्म के साथ मे विधिवत सम्पन होगा।

झंडे की रस्म के साथ मे रंग बिरंगे परिधानों में सज संवरकर विभिन्न वाहनों में सवार होकर जायरिनों का आना शुरू हो जाएगा शाम 5 बजे बाद में मस्जिद के पास से चादर का जुलूस कव्वालों के संग निकलेगा जो कि अचरोल कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ बाबा के दरबार मे आएगा इस दौरान हिन्दू मुस्लिम भक्त पुष्पवर्षा करके ठंडा पानी शर्बत आदि पिलाकर स्वागत करेंगे। मगरिब के बाद में लंगर वितरण किया जाएगा जिसमे बाबा के दीवाने पंगत प्रसादी लेंगे। रात्रि 10 बजे बाद में सीकर की मशहूर कव्वाल पार्टी द्वारा सम्पूर्ण रात्रि तक बाबा की मान मनुहार करेंगे।

विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : मंत्री संजय

■ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर पर्यावरण वन मंत्री ने विद्युत अधिकारियों की बैठक ली

अलवर (निसं)। सुचारू बिजली मिले इसको लेकर पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को अलवर सर्किट हाउस में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में बैठक ली। बैठक में मंत्री ने विद्युत आपूर्ति की समीक्षा कर विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये और कहा लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी।

वन राज्यमंत्री शर्मा ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि वर्तमान में गर्मी के समय में आमजन को विद्युत संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पडे इसके लिए जिले सहित शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें और निर्देश दिये कि अधीक्षण अभियन्ता स्वयं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें।

उन्होंने कहा इसमें कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि फाल्ट व ट्रिपिंग होने पर यथाशीघ्र दुरूस्त करें। विद्युत उपकरण जलने पर भी त्वरित रूप में बदले जावे। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिकारी फील्ड में रहकर जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी बनाए रखे एवं आमजन की विद्युत संबंधी समस्याओं पर तुरन्त रेस्पॉस लेते हुए उनका यथाशीघ्र निराकरण करें।

बैठक में मंत्री शर्मा ने दूरभाष से जयपुर डिस्कॉम की सीएमडी सुश्री आरती डोगरा को अलवर से विद्युत सामग्री और उपकरण के लिए भेजी गई डिमांड के अनुरूप विद्युत उपकरण अविलम्ब उपलब्ध कराने तथा अलवर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला को अलवर शहर में 3 नए प्रस्तावित विद्युत जीएसएस वैशाली नगर बेलाका ग्राउंड के पास 132 केवी व राजऋषि महाविद्यालय के पास तथा अम्बेडकर नगर 200 फीड रोड क्षेत्र के लिए 33-33 केवी के नए जीएसएस के लिए नगर विकास न्यास से भूमि आवंटन की कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिये। इसके उपरान्त सर्किट हाउस में आए हुए फरियादियों की परिवेदनाओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये। इसके पश्चात मंत्री शर्मा जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। बैठक में जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता सुधीर पाण्डेय, अधिशाषी अभियंता महेश देशवाल, अलवर शहर के समस्त सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहें।

सी.एस.आर. कार्यशाला का आयोजन हुआ

दौसा (निसं)। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत शनिवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र कुमार मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सीएसआर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में उद्योग एसोसिएशन दौसा, लालसोट, कोलाना, सिकन्दरा के अध्यक्षों, जिला स्तरीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न उद्यिमयों ने भाग लिया। कार्यशाला में जिला उद्योग वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक मेघराज मीणा ने पीपीटी के माध्यम से जल संरक्षण, ग्रीन ऑफिस इनिशिएटिव, ऊर्जा दक्षता, ग्रीन बजटिंग के सम्बंध में जानकारी प्रदान की। कार्यशाला में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल आरएसपीसीबी एवं जलग्रहण विभाग से उपस्थित अधिकारियों ने भू-जल संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन, हरित पहल, जल उपयोग अंकेक्षण, एनर्जी ऑडिट आदि के सम्बंध में उद्यिमयों के साथ विचार-विमर्श किया।

कार्यशाला में उपस्थित उद्यिमयों व अधिकारियों को पौधरोपण, जल संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन के सम्बंध में जानकारी प्रदान करते हुए जिले के भामाशाहों व उद्यिमयों से सीएसआर फण्ड में सहयोग राशि प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरणीय सुधार के लिए आव्हान किया गया।

कार्यालय तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर

क्रमांक:-रीडर/2025/95 **आपत्ति नोटिस** दिनांक: 12.06.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में किशन यादव पुत्र लालाराम यादव जाति यादव निवासी रामसिंहपुरा तहसील सांगानेर जयपुर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपपंजीयक चाकसू से पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 201803425100376 दिनांक 29.01.2018 अनुसार ग्राम प्रहलादपुरा उर्फ धमकपुरा तहसील चाकसू के आरजी खसरा नंबर 18 रकबा 1.15 हैक्ट., खसरा नंबर 19 रकबा 0.47 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 1.62 हैक्ट. में विक्रेता खातेदार भूरी देवी पत्नी लाला जाति यादव एवं प्रहलाद पुत्र लाला जाति यादव निवासी ब्रजनाथपुरा चाकसू ने संयुक्त रूप से अपना हिस्सा 124/585 को क्रेता बाबूलाल पुत्र मंगलराम जाति यादव व किशन पुत्र लालाराम जाति यादव निवासी रामसिंहपुरा तहसील सांगानेर, विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र जैरकार है, जिसके संबंध में प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन चल रही है। अत: हर आम व खास एवं संपत्ति में हितबद्ध रखने वाले पक्षकार को सूचित किया जाता है कि इसमें यदि किसी को भी कोई उज्र या आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में कार्य दिवस को व्यक्तिश: अथवा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी और विचाराधीन प्रकरण में निर्णय पारित कर पत्रावली निर्णित कर दी जावेगी। यह आपत्ति नोटिस आज दिनांक 12.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रांक से जारी किया गया है।

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाकसू जिला जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम सं. 2
जयपुर महानगर द्वितीय

स्टेट बैंक आफ इण्डिया विरुद्ध श्री शुभम अग्रवाल
वाद बाबत वसूली वाद सं. 03/2024

बनाम -1. श्री शुभम अग्रवाल पुत्र रवी अग्रवाल
बनाम -2. श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नि रवी अग्रवाल
स्थान:- प्लॉट नं. 11/122, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर, राज-302020

वादी ने आपके विरुद्ध वाद बाबत वसूली के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 08.09.2025 को दिन में 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नो का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे एव दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है, पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा दाखिल/ सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविश्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा । यह आज दिनांक 31 माह 05 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।

मुहर

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम सं. 2
जयपुर महानगर द्वितीय

समाजसेवी धर्मपाल यादव ने 32 वीं बार रक्तदान किया

शाहपुरा (निसं)। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर समाजसेवी धर्मपाल यादव ने जीवन का 32 वीं बार रक्तदान कर पीडित मरीजों की सहायता की। रक्तदान करने पर रजनीश अस्पताल निदेशक डॉ.रजनीश शर्मा ने माला साफा पहनाकर व पौधा भेंटकर सम्मानित किया। समाजसेवी धर्मपाल यादव ने रक्तदान करते हुए कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई सेवा नही है।रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाना भी रक्तदान करने से पुण्य का काम है। रणवीर सेवा समिति अध्यक्ष विजय चौहान ने कहा कि रक्त की एक एक बूंद अनमोल होती है रक्त की एक यूनिट तीन लोगों का जीवन बचाती है। इस मौके पर लोकेश सामोता,अमरसिंह पलसानियाँ समेत अस्पताल स्टाफ मौजूद रहे।

तेज चिलचिलाती धूप में हीट वेव की परवाह नहीं कर बच्चों की सम्मान रैली निकाली

किशनगढ़बास (निसं)। यह कैसा हीट वेव से बचाव है। एक तरफ तो प्रशासन हीट वेव से बचाव के लिए लोगों को घरों से बाहर नहीं निकले इस के लिए लोगों को सलाह दें रहा है तो दूसरी तरफ इस चिलचिलाती तेज धूप और 45 तापमान मैं स्कूली बच्चों का सम्मान जुलूस निकाला जा रहा है, क्या वास्तव में यह बच्चों का सम्मान हो रहा है, या फिर निजी शिक्षण संस्थानों के लिए एक प्रचार का माध्यम बन गया है।

शनिवार को दोपहर का 1 बज रहा था जब खुली विदेशी विंटेज कार जीप में सवार स्कूली बच्चों का जुलूस निकाला जा रहा था बच्चे पसीने से लथपथ हो रहे थे। चिलचिलाती धूप में चेहरे लालसुर्ख हो रहे थे और स्कूल प्रबंधन से जुडे लोग जगह-जगह रोककर के उनका माला पहनकर सम्मान करा कर फोटो सेशन करा रहे थे। साथ चल रहे छोटे-छोटे बच्चे स्कूल के पंपलेट को दुकान दुकान पर बांट रहे थे इसे स्कूल का प्रचार नहीं कहें तो और क्या है।

दुसरी तरफ प्रशासन हिट वेव से बचने के लिए लोगों से अपील करता आ रहा है कि तेज धूप में घरों से बाहर नहीं निकले। हीट वेव से बचाव के लिए संबंधित विभागों को गाइडलाइन देकर निर्देशित किया जा रहा है। इसके बाद भी निजी शिक्षण संस्थान से जुडे लोग बच्चों के सम्मान का सहारा लेकर स्कूल के प्रचार के लिए बच्चों की परवाह किए बिना इस तेज चिलचिलाती धूप में जुलूस निकाल रहे हैं। इन दिनों परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से निजी स्कूल संचालकों में विधालय में अच्छे अंक लेकर आने वाले बच्चों का साफा माला पहनाकर सम्मान करने व डीजे और स्कूली वाहनों के लवाजमा के साथ शहर गांव में रैली निकालने एवं स्कूल की उपलब्धि दिखाने की होड लगी है। अच्छे अंक लेकर आने वाले बच्चों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान रैली निकालने से पहले एक बार इस आज बरसाते सूरज और चिलचिलाती धूप में बच्चों का क्या हाल होगा इस और जरा भी नहीं सोच रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस पर रोक लगाएं।

कार्यशाला का शुभारंभ

भरतपुर (निस)। भरतपुर में स्वदेशी जागरण मंच जयपुर प्रांत की विचार वर्ग एवं कार्यशाला का आयोजन समिधा भवन किया गया। संघ चालक महेंद्र सिंह मग्गो, प्रांत प्रचारक बाबुलाल, मुख्य अतिथि सरदार हिरासिंह, अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख राजीव कुमार, डॉ धर्मेन्द्र दुबे, क्षेत्र संयोजक सतीश आचार्य, प्रांत संयोजक सुरेंदर नामा, प्रांत समन्वयक लोकेंद्र सिंह नरूका ने दीनदयाल उपाध्यय, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रारम्भ किया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैं वानीश्री पुत्री नंबर-14668341X,NK, मनोज कुमार गेहलोत पता-2/2, विनोबा भावे पथ बिरला ग्राम नागदा जिला-उज्जैन (MP) मैंने शपथ पत्र संख्या-1518, दिनांक 14.06.2025 के माध्यम से अपना नाम वानीश्री को बदलकर वानीश्री गेहलोत कर लिया है।

मै मेरा नाम मिस वंदना बाई हरिजन पुत्री जितेन्द्र हरिजन से बदलकर वंदना पवार पुत्री जितेन्द्र पवार कर लिया भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। वन्दना पवार पुत्री जितेन्द्र पवार टिगरिया, सवाई माधोपुर

मैंने अपना नाम संगीता अग्रवाल से बदलकर संगीता बजाज पत्नी श्री सत्यनारायण बजाज, रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी 7/एच, 4/09, पापड के हनुमान जी रोड, 6/376, सेक्टर 7, विद्याधर नगर, जयपुर

I, TarunKumar Bhatt Rameshchandra Bhatt changed my name to Tarun Kumar Bhatt vide affidavit dated 10.06.2025 bfr notary D K Dadheech, Kishangarh 305801

I, Sachin Bansal, S/O Jagdish Bansal R/O H-1101, Jewel of India, Jaipur - 302018, have changed my minor daughter's name from Krisha Bansal to Diyara Bansal, so in future she should be known as Diyara Bansal.

I pinki legally daughter of army no 14468873N Ex NK late chanderbhan Sharma resident of 45/ 206 Rajat path mansarovar Jaipur that i have changed my name which is wrongly entered in my father service record from PINKI (DOB 18/7/85) To SUNITA SHARMA (DOB 20/4/1987) vide affidavit dated 23 may 2025 before district Sub divisional magistrate second sanganer Jaipur

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
क्रमांक: 1941 **आम जाहिर सूचना** दिनांक : 13/06/25

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास सख्या-8/100 मालवीय नगर जयपुर का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक: 10319 दिनाक 23.12.2021 **श्रीमती परमेश्वरी भावनानी** पत्नी **स्व. श्री नारायण दास** के पक्ष में जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 06.01.2022 को करवाया गया। **श्रीमती परमेश्वरी भावनानी** की मृत्यु दिनांक-28.02.2022 को हो जाने के कारण **श्री ललित भावनानी** पुत्र **स्व. श्री नारायण दास** के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हकत्याग की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अत: उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता **श्री ललित भावनानी** पुत्र **स्व. श्री नारायण दास** के पक्ष में उक्त आवास के नाम प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जायेंगी।

सम्पदा प्रबंधक वृत्त तृतीय, रा.आ.मण्डल जयपुर

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) दूदू जिला-जयपुर
क्रमांक-भू.अ./2025/1597 दिनांक-12/6/25

आम सूचना जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी सुरेश पुत्र रामधन जाट जाति जाट निवासी रहलाना तहसील दूदू द्वारा मृतक खातेदार नन्दाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज खाता सं. 301 कुल किता 01 रकबा 1.14 हैक्ट. मे हिस्सा 1/5 व खाता सं. 302 मे किता 03 रकबा 0.60 हैक्ट. हिस्सा 1/5 व खाता सं.370 कुल किता 01 रकबा 0.01 हिस्सा 1/5 खाता सं.598 किता 1 रकबा 1.38 हिस्सा 1/20 व खाता सं.599 किता 3 रकबा 1.05 हैक्ट. हिस्सा 1/45 खाता सं.620 किता 10 रकबा 2.46 हैक्ट. हिस्सा 1/15 खाता सं.621 किता 02 रकबा 8.59 हिस्सा 1/30 व खाता सं.709 किता 02 रकबा 0.01 हिस्सा 1/45 खाता सं. 710 किता 02 रकबा 1.95 हिस्सा 1/45 वाके ग्राम रहलाना की विरासत का नामान्तकरण मृतक खातेदार के बजाय नोटेरी प्रमाणित वसीयत दिनांक 07.03.2024 के आधार पर वसीयत ग्रहिता के पक्ष में खोलने की कार्यवाही कार्यालय हाजा में प्रकरण सं.09/2024 अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विचाराधीन है। खातेदार नन्दाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट सा.देह खातेदार तह.दूदू की दिनांक 23.03.24 को ही मृत्यु हो चुकी है। मुताबिक वसीयत विधिक वारिसान व वसीयत के गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो के आधार पर मृतक खातेदार के बजाय सुरेश पुत्र रामधन जाट जाति जाट निवासी रहलाना तह.दूदू पक्ष में विरासत का नामान्तकरण खोले जाने पर किसी व्यक्ति को आपत्ति/दावा/हक अथवा अन्य कोई वसीयत हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में स्वयं अथवा प्लीडर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जावेगा।

तहसीलदार (भू.अ.) दूदू, जयपुर

SALE ON "AS-IS-WHERE IS BASIS" OF WATER AFFECTED Craft/Duplex/Semi Craft Paper & Corrugated Boxes

SEALED TENDERS ARE INVITED FROM THE BUYERS FOR THE DISPOSAL OF CAPTIONED ITEMS (APPROX 54000KG), STRICTLY ON "AS-IS-WHERE-IS BASIS", LYING AT -PLOT NO:-SP3-163, GHILOTH INDL AREA, RIICO INDL AREA NEEMRANA, ALWAR, RAJASTHAN-301705, FACTORY OF M/S. DHAWAN BOX SHEET CONTAINERS PVT LTD
(For Inspection contact Mr. SHANU DABAS PH.9257029268) TENDER DOCUMENTS CAN BE OBTAINED BY POST/ IN PERSON ON PAYMENT OF RS.100/- IN CASH/DRAFT ETC
FROM: **M/s. Dhawan Box Sheet Containers Pvt Ltd**
Plot No:-SP3-163, Ghiloth Indl Area, RIICO Indl Area Neemrana, Alwar, Rajasthan-301705
Inspection at site from 11am to 5pm between 16.06.25 to 29.06.25 Tender submission
Last date 30-06-2025 at PLOT NO:-SP3-163, GHILOTH INDL AREA, RIICO INDL AREA NEEMRANA, ALWAR, RAJASTHAN-301705 **Tender Opening Date 01-07-2025**

राजस्थान सरकार
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, अजमेर सम्भाग
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, अजमेर RPSC के पास, जयपुर रोड़, अजमेर-305001
क्रमांकःएफ.()जि.उ.के.अ./MSEFC/Meeting/Minutes/2025/487 दिनांक 22.05.2025
Sh. Arvind Goyal C/o M/s Goyal Constructions
123, Hari Marg, Civil Lines, Jaipur - 302006

अंतिम नोटिस
केस नं. RJ/32/S/AJR/00228

M/s S.G.G. Cement Product Pvt. Ltd., F/35A-37, Road No. 2, RIICO Ind. Area, Niwai, Distt. Tonk (Raj.) द्वारा आरसीसी पाईप की आपूर्ति हेतु विलंबित भुगतान राशि रु. 38145.00 तथा देय ब्याज व GST राशि रु. 79552.00 सहित कुल राशि 117697.00 का भुगतान आप द्वारा आपूर्तिकर्ता ईकाई को नही किये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा MSMED Act-2006 की धारा 18 के अन्तर्गत सुविधा परिषद को रेफेरेस प्रस्तुत करने पर बैठक दिनांक 27.12.2023 मे आप (क्रेता संस्था) को व आपूर्तिकर्ता संस्था को नोटिस दिनांक 08.12.2023 रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाकर, वाद के सम्बन्ध मे सुविधा परिषद के समक्ष उपस्थित होने हेतु लिखा गया/
उक्त वाद से सम्बंधित परिषद की समस्त बैठको मे आप (क्रेता पक्ष) अनुपस्थित रहे तथा ना ही आपने परिषद के पत्रो का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया/ सुविधा परिषद की बैठक दिनांक 09.05.2025 मे परिषद द्वारा सर्वसम्मति से क्रेता के क्षेत्र मे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के व्यय पर क्रेता के लिए सुनवाई के अंतिम अवसर की लोक सूचना प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया गया/
अतः जरिये अंतिम नोटिस आपको सूचित किया जाता है की आपूर्तिकर्ता ईकाई को विलंबित बकाया भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध मे अपना प्रत्युत्तर 15 दिवस मे प्रस्तुत करें अन्यथा MSMED Act-2006 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(डी.के. शर्मा)
अध्यक्ष, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, अजमेर संभाग

राजस्थान सरकार
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, अजमेर सम्भाग
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, अजमेर RPSC के पास, जयपुर रोड़, अजमेर-305001
क्रमांकःएफ.()जि.उ.के.अ./MSEFC/Meeting/Minutes/2025/487 दिनांक 22.05.2025
Sh. Neeraj Gupta C/o Gupta Builders
D-50, Choumu House, C-Scheme, Jaipur - 302 001

अंतिम नोटिस
केस नं. RJ/32/S/AJR/00230

M/s Kushagra Cement Products, NH-12, Pahari Chowki, Niwai, Distt. Tonk (Raj.) द्वारा Precast Box Culverts की आपूर्ति हेतु विलंबित भुगतान राशि रु. 175850.00 तथा देय ब्याज व GST राशि रु. 289232.00 सहित कुल राशि 465082.00 का भुगतान आप द्वारा आपूर्तिकर्ता ईकाई को नही किये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा MSMED Act-2006 की धारा 18 के अन्तर्गत सुविधा परिषद को रेफेरेस प्रस्तुत करने पर बैठक दिनांक 27.12.2023 मे आप (क्रेता संस्था) को व आपूर्तिकर्ता संस्था को नोटिस दिनांक 08.12.2023 रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाकर, वाद के सम्बन्ध मे सुविधा परिषद के समक्ष उपस्थित होने हेतु लिखा गया।
उक्त वाद से सम्बंधित परिषद की समस्त बैठको मे आप (क्रेता पक्ष) अनुपस्थित रहे तथा ना ही आपने परिषद के पत्रो का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया/ सुविधा परिषद की बैठक दिनांक 09.05.2025 मे परिषद द्वारा सर्वसम्मति से क्रेता के क्षेत्र मे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के व्यय पर क्रेता के लिए सुनवाई के अंतिम अवसर की लोक सूचना प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया गया।
अतः जरिये अंतिम नोटिस आपको सूचित किया जाता है की आपूर्तिकर्ता ईकाई को विलंबित बकाया भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध मे अपना प्रत्युत्तर 15 दिवस मे प्रस्तुत करें अन्यथा MSMED Act-2006 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(डी.के. शर्मा)
अध्यक्ष, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, अजमेर संभाग

उत्तर पश्चिम रेलवे

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-12062025-263751
CG-RJ-E-12062025-263751
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2025/ज्येष्ठ 21, 1947
No. 2494] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2025/JYAISTHA 21, 1947

रेल मंत्रालय
[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]
अधिसूचना
जयपुर, 4 जून, 2025

का. आ. 2558(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम 2008 (2008 का 11) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण उनके नीचे अनुसूची में दिया गया है। राजस्थान राज्य के जालोर जिले की **भीनमाल** तहसील में **लूणी-समदडी-भीलडी के बीच रेलवे दोहरीकरण की विशेष परियोजना** के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन और परिचलन के लिए अपेक्षित है। ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप धारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिये ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग संबंध में आपत्ति कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात **सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी-भीनमाल-जालोर** राजस्थान को लिखित रूप से किया और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश व्दारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में लूणी - समदडी-भीलडी के बीच रेलवे दोहरीकरण की विशेष परियोजना हेतु जालोर जिले के भीनमाल उपखंड में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि की किस्म	भूमि का प्रकार	अवाप्त रकबा (व.मी. में)	अवाप्त रकबा (हेक्टेयर में)
1	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1071	0.6900	बारानी प्रथम	निजी	736.00	0.0736
2	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1072	0.6600	बारानी प्रथम	निजी	720.00	0.0720
3	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1074	2.0400	बारानी प्रथम	निजी	1914.96	0.1915
4	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1088	1.2400	बारानी प्रथम	निजी	1224.00	0.1224
5	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1089	0.6500	बारानी प्रथम	निजी	1341.00	0.1341
6	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1098	0.7000	बारानी दोयम	निजी	210.00	0.0210
7	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1101	0.5400	वारानी प्रथम	निजी	827.40	0.0827
8	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1102	1.3900	बारानी प्रथम	निजी	518.50	0.0519
9	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1103	1.4500	बारानी प्रथम	निजी	648.00	0.0648
10	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1106	0.6600	बारानी प्रथम	निजी	1260.00	0.1260
11	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1107	1.5000	बारानी प्रथम	निजी	918.00	0.0918
12	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1112	0.6000	बारानी प्रथम	निजी	850.00	0.0850
13	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1114	0.6400	बारानी प्रथम	निजी	2134.75	0.2135
14	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1153	1.6200	बारानी प्रथम	निजी	2158.80	0.2159
15	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1154	1.1800	बारानी प्रथम	निजी	2820.00	0.2820
16	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1155	0.7000	बारानी प्रथम	निजी	4425.50	0.4426
17	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1158	1.0600	बारानी दोयम	निजी	2929.50	0.2930
18	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1166	1.1600	बारानी दोयम	निजी	350.00	0.0350
19	जालोर	भीनमाल	लेदरमेर	1200	1.0600	गै.मु. रास्ता	सरकारी	220.00